भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 637

26 फरवरी, 2016 को उत्तर के लिए

ओआरओपी योजना

637. श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपाराः
श्री चरणजीत सिंह रोड़ीः
एटवोकेट जोएस जॉर्जः
श्री संजय धोत्रेः
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री दुष्यंत चौटालाः
श्री के.एन.रामचन्द्रनः
श्री आलोक संजरः
श्रीमती कोथापल्ली गीताः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इस प्रयोजन हेतु आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ओआरओपी योजना के आदेश के संदर्भ में असंतुष्टि और अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न भूतपूर्व सैनिक संगठनों और लाभार्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की जांच करने हेतु सरकार ने एक न्यायिक समिति नियुक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके द्वारा कब तक रिपोर्ट देने की संभावना है; और

(ड.) सरकार द्वारा ओआरओपी योजना को समयबद्ध रूप से एवं प्रभावी रूप से लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

....2

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) एक रैंक एक पेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में एक रैंक एक पेंशन की सारणियों सहित विस्तृत अनुदेश 03.02.2016 को जारी किए गए हैं । 'एक रैंक एक पेंशन' के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर विचार करते हुए बजट आकलन 2016-17 में रक्षा पेंशनों के लिए व्यय सीमा को 69,876 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 82,332.66 करोड़ रुपए कर दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एवं (घ) जी, हां । एक रैंक एक पेंशन के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों की जांच करने के लिए 14.12.2015 को एक सदस्यीय न्यायिक समिति गठित की गई है । न्यायिक समिति अपनी रिपोर्ट छह माह में पेश करेगी ।

(ड.) एक रैंक एक पेंशन के कारगर कार्यान्वयन के लिए पेंशन संवितरण एजेंसियों (पीडीए) को निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं:-

(i) 01.07.2014 से पेंशन के संशोधन के कारण बकाया राशि का चार समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाए । तथापि, विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशनभोगी तथा सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित परिवार पेंशनभोगियों को बकाया राशि का एक किस्त में भुगतान किया जाए ।

(ii) कोई अपेक्षित सूचना, यदि अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, वह संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी (पीएसए) के पास भेजी जाए जो उपलब्ध अभिलेखों से अपेक्षित सूचना को 15 दिवसों के अंदर पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण को उपलब्ध कराएंगे ।

(iii) कोई संदेह होने पर पेंशन संवितरण एजेंसी (पीडीए) इस मामले को संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकरणों (पीएसए) के नोडल अधिकारियों के समक्ष तत्काल उठाएगी, जिसके ब्यौरे प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद द्वारा उनके कार्यान्वयन संबंधी अनुदेशों में अधिसूचित किए जाएंगे ।

*****